राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/बारां/2010 जयपुर, दिनांक : 19/8/2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
उदयपुर।

विषय :– उदयपुर जिले में निवासरत "कथौड़ी" जनजाति को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने बाबत।

संदर्भ :– कार्यालय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 12.07.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा उदयपुर जिले की पंचायत समिति कोटडा एवं झाड़ोल में निवास करने वाली कथौड़ी जाति के परिवारों द्वारा 100 दिवस का निर्धारित रोजगार पूर्ण करने के पश्चात 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अर्थात वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 200 दिवस का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। इस संबन्ध में संदर्भानुसार जारी स्वीकृति में पंचायत समिति कोटडा एवं झाडोल के स्थान पर सम्पूर्ण उदयपुर जिले में निवासरत कथौडी जाति के लिए उक्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त निर्देश वित्त विभाग के आई.डी. संख्या 101102800 दिनांक 12.08.2011 से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप जारी किये जा रहे है।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करावें।

भवदीय

(रामनिवास मेहता)
परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री जी।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

19/8/11

परि.निदे.एव उप सचिव, ईजीएस